



इलाहाबाद उच्च न्यायालय
लखनऊ
जनहित याचिका संख्या – 7326/2020

उमा शंकर

...याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा प्रमुख सचिव, ऊर्जा, लखनऊ एवं अन्य

... प्रतिवादी (गण)

याचिकाकर्ता (गण) के अधिवक्ता: – अरविन्द कुमार त्रिपाठी, जगत पाल सिंह

प्रतिवादी (गण) के अधिवक्ता :- मुख्य स्थायी अधिवक्ता, वाशुदेव मिश्रा

न्यायालय संख्या – 1

माननीय न्यायमूर्ति राजन रॉय

माननीय न्यायमूर्ति मनीष कुमार

याचिकाकर्ता को आज के कार्यदिवस के दौरान याचिका ज्ञापन में प्रतिवादियों की श्रेणी में विपक्षी संख्या 6 के रूप में मुख्य अभियंता, सिंचाई एवं जल संसाधन, उ.प्र., लखनऊ को पक्षकार बनाने की अनुमति दी जाती है।

यह याचिका वर्ष 2020 में जिला सीतापुर में संचालित कतिपय नलकूपों के रखरखाव/मरम्मत न होने से व्यथित होकर दायर की गई थी।

वर्तमान जनहित याचिका पर बल देने के लिए कोई उपस्थित नहीं हुआ है।

यदि हेतुक अभी भी शेष है, तो याचिकाकर्ता कतिपय नलकूपों के रखरखाव न होने/मरम्मत न होने के विशिष्ट दृष्टान्तों का उल्लेख करते हुए मुख्य अभियंता, सिंचाई एवं जल संसाधन, उ.प्र., लखनऊ से संपर्क करे, जिसके बाद वे जांच कराएंगे और ऐसे नलकूपों का उचित संचालन शीघ्रातिशीघ्र सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करेंगे।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है एवं इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी एवं सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



यदि तीन माह के अंतर्गत कुछ नहीं होता है, तो याचिकाकर्ता हेतु पुनः इस न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने का विकल्प उपलब्ध रहेगा।

उपरोक्त के आलोक में यह याचिका निस्तारित की जाती है।

20 फरवरी, 2026

नितेश

(न्यायमूर्ति मनीष कुमार) (न्यायमूर्ति राजन रॉय)